# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, नीमच(म0प्र0)

पुरानी पुलिस लाईन के सामने, महू–नसीराबाद रोड़, नीमच
Phone No. (07423) 226605, E-mail- dfot.nmh@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 3334 नीमच, दिनांक–26/08/2020

प्रति,

Jio Digital Fiber Pvt. Ltd.
3rd Floor,DB City Mall, Arera Hills
M.P. Nagar Bhopal (M.P.)- 462016

**विषयः–** नीमच जिले में Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. द्वारा Ghandhi Sagar Heydel- Rampura Route मे ओ.एफ. सी. लाईन डालने हेतु 0.5925 हेक्टेयर वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बाबत्। (प्रकरण क्र. /FP/MP//OFC/45643/2020)

**संदर्भ :–** भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पत्र क्रमांक 11–9 / 98–FC दिनांक 16.10.2000 एवं म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ / 5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 18.11.2004, 14.12.2005, 01.07.09 एवं अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–5 / विविध / 2020 / 10–11 / 2217 दिनांक 13.07.2020, मुख्य वनसंरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 4262 दिनांक 21.08.2020 तथा आपका पत्र दिनांक 15.06.2020.

विषयांकित प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र दिनांक 15.06.2020 से राईट ऑफ वे के अंतर्गत Ghandhi Sagar Heydel-Rampura Route तक भूमिगत ऑप्टीकल फाइबर केबल लाईन निर्माण हेतु रकबा 0.5925 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ऑनलाईन भाग–1 तैयार कर हार्ड कॉपी में इस कार्यालय को प्रेषित किया हैं। प्रस्ताव अनुसार प्रभावित होने वाली वनभूमि का मौका सत्यापन वनपरिक्षेत्राधिकारी रामपुरा से करवाया गया। प्रतिवेदन अनुसार ऑप्टीकल फाइबर केबल लाईन राईट ऑफ वे के अंतर्गत डालने में निम्नानुसार वनभूमि प्रभावित हो रही हैं।

| क्र | परिक्षेत्र का नाम | वनखण्ड का नाम | बीट का नाम | कक्ष क्र. | ऑप्टीकल फाईबर केबल की | | | आवेदित वनक्षेत्र हेक्टेयर में | ऑप्टीकल फाईबर केबल की जी.पी एस. रीडिंग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | लंबाई (मीटर मे) | चौडाई (मीटर में) | गहराई (मीटर में) | | प्रारभ बिन्दु | अतिम बिन्दु |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | रामपुरा | मेनपिछोर | बैसला | 455 | 225 | 1.00 | 1.20 | 0.0225 | N-24°33' 20.0" E-75°27'38.1" | N-24°33' 26.5" E-75°27'46.5" |
| | | | बुज | 452, 453 | 4200 | 1.00 | 1.20 | 0.420 | N-24°34' 19.0" E-75°28' 37.0" | N-24°35' 37.0" E-75°30'28.0" |
| | | | भीमपुरा | 442 | 1500 | 1.00 | 1.20 | 0.150 | N-24°32'50.0" E-75°26'58.0" | N-24°32'17.0" E-75°26'42.0" |
| कुल योगः– | | | | | | | | 0.5925 | | |

प्रकरण में आपके द्वारा पंजीयन शुल्क राशि रूपये 5000 / –एवं प्रोसेसिंग शुल्क राशि रूपये 25000 / –चालान द्वारा जमा कराया गया हैं। मुख्य वनसंरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन ने उनके संदर्भित पत्र दिनांक 21.08.2020 से प्रकरण में सहमति दी जाकर सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देशित किया हैं।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11–9 / 98–FC दिनांक 16.10.2000 के तारतम्य में म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ / 5 / 18 / 2002 / 10–3 दिनांक 18.11.2004, 14.12.2005, 01.07.09 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Mp Nagar Bhopal को राईट ऑफ वे के अंतर्गत Ghandhi Sagar Heydel-Rampura Route तक भूमिगत ऑप्टीकल फाइबर केबल लाईन निर्माण हेतु उपरोक्त प्रपत्र में वर्णित अनुसार रकबा 0.5925 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन दी जाती हैं।

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।
2. वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट ऑफ वे के तहत ही दी जायेगी। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से हैं।
3. योजना में किसी भी वृक्ष को नहीं काटा जायेगा।
4. वन भूमि पर भूमिगत ऑप्टीकल फाईबर केबल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती का आकार 1.50 मीटर गहरा तथा 0.50 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं होगा।

5. जहां पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना हो वहां आवेदक/आवेदन संस्थान से स्वीकृत योजना अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि पेशगी में जमा करवाई जावेगी। यह राशि योजना अवधि के आगामी वर्षो के देय में संभावित वृद्धि को ध्यान में रख जमा कराई जावेगी।

6. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।

7. रखरखाव की अनुमति वनमंडलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।

8. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से तत्परता से किया जाएगा।

9. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा।

10. खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।

11. खन्ती खोदते समय या कार्य के दौरान वन्यप्राणियों को किसी भी प्रकार की कोई हानि या नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।

12. आवेदित क्षेत्र भू–क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील होने पर आवेदक संस्थान द्वारा भू–क्षरण की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

13. म.प्र. शासन वन विभाग के आदेश क्र./एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12 सितंबर 2008 अनुसार अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु नेट प्रजेन्ट वैल्यू से पूर्ण छूट सशर्त प्रदान की गई हैं। प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/विविध/2020/2010–11/2218 दिनांक 13.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार आवेदक संस्थान द्वारा राशि रूपये 100/– कैम्पा खाते के अन्य मद में ऑनलाईन जमा की जावेगी। साथ ही भविष्य में शासन द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू के संबंध में नये दिशा निर्देश प्राप्त होने पर भुगतान योग्य राशि Jio Digital Fiber Pvt. Ltd., M.P. Nagar Bhopal के द्वारा देय होगी।

14. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती हैं, तो वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।

15. आवेदक/आवेदक संस्थान से लिखित में वचन पत्र लिया जावेगा कि यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. ,क्षेत्रीय वनसंरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्ते उन्हें मान्य होगी।

16. आवेदक/आवेदक संस्थान से जिन प्रकरणों में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि एव नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि ली जाना हैं, उसे अग्रिम में जमा कराने के उपरांत ही औपचारिक अनुमति कार्य करने हेतु प्रदान की जाएगी। इस औपचारिक अनुमति के जारी होने के पूर्व कार्य नहीं करने दिया जाएगा।

17. भूमिगत ऑप्टीकल फाईबर केबल के प्रकरण में राजस्व वन या छोटे बड़े झाड़ का वन या वन जैसा की सिविल याचिका क्र. 202/95 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 के निर्णय के पालन में परिभाषित हैं, के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदक/आवेदक संस्थान द्वारा अपने प्रस्ताव में सम्मिलित कर आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

18. कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही किया जावेगा।

19. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जाएगी तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

आवेदक विभाग से उपरोक्त शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में औपचारिक अनुमोदन किये जाने पर विचार किया जायेगा। जब तक यह कार्यालय औपचारिक अनुमोदन न कर दें तब तक वनभूमि का वनेत्तर उपयोग नहीं किया जावें।

(क्षितिज कुमार)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल नीमच

क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 3335 नीमच, दिनांक :– 26/08/2020

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, ई–5 रविशंकर नगर भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला नीमच की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपवनमंडलाधिकारी, मनासा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. वनपरिक्षेत्राधिकारी रामपुरा की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता हैं, कि आवेदक विभाग से उपरोक्त शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में औपचारिक अनुमोदन किये जाने पर विचार किया जायेगा। जब तक यह कार्यालय औपचारिक अनुमोदन न कर दें तब तक वनभूमि का वनेत्तर उपयोग नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल नीमच